संचिका सं०– बी०/बजट–01–1011/2014..................

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

प्रभाकर झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उप सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–...............मई, 2014

विषय :– वित्तीय वर्ष 2014–15 में मांग सं०–04 के मुख्यशीर्ष–2013–मंत्रिपरिषद्–00–104–मनोरंजन एवं सत्कार भत्ते–0001–आतिथ्य व्यय के अंतर्गत रू० 8,75,000/– (आठ लाख पचहत्तर हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक–ब० 17/बी०एस०जी०–07/2014–253/वि० दिनांक–11.03.2014 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014–15 में मांग सं०–04 के मुख्यशीर्ष–2013–मंत्रिपरिषद्–00–104–मनोरंजन एवं सत्कार भत्ते, –0001–आतिथ्य व्यय के अंतर्गत रू० 35,00,000/– (पैंतीस लाख रूपये) मात्र का बजट उपबंध किया गया है तथा बजट में प्रावधानित राशि का विषयशीर्षवार 33.33 प्रतिशत राशि का नियमानुसार व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

2. वित्त विभाग के पत्रांक–ब० 17/बी०एस०जी०–07/2014–253/वि० दिनांक–11.03.2014 के आलोक में व्यय हेतु रू० 8,75,000/– (आठ लाख पचहत्तर हजार रूपये) मात्र की राशि निम्नवत् आवंटित की जाती है।

क्र० सं०	विषय शीर्ष	आय–व्ययक अनुमान (वर्ष 2014–15)	आवंटित राशि	कुल आवंटन
1	2	3	4	5
1	20 01 आतिथ्य व्यय	35,00,000	8,75,000	8,75,000
	कुल –	**35,00,000 (पैंतीस लाख) रूपये**	**8,75,000 (आठ लाख पचहत्तर हजार) रूपये**	**8,75,000 (आठ लाख पचहत्तर हजार) रूपये**

3. आवंटित राशि का व्यय मांग सं०–04 के मुख्यशीर्ष–2013–मंत्रिपरिषद्–00–104–मनोरंजन एवं सत्कार भत्ते–0001–आतिथ्य व्यय विपत्र कोड – एन 2013001040001 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में विकलनीय होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि०(2) दिनांक–17.04.98 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन है। संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटनादेश संख्या एवं तिथि का भी उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र की निकासी की जायेगी।

(03)

5. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा न ही आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किया जायेगा।

6. प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विषयशीर्षवार व्यय तथा अवशेष आवंटन का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(प्रभाकर झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– बी०/बजट–01–1011/2014..............................पटना–15, दिनांक–....................मई, 2014

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– बी०/बजट–01–1011/2014..............................पटना–15, दिनांक–....................मई, 2014

प्रतिलिपि :– महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– बी०/बजट–01–1011/2014.......04.......पटना–15, दिनांक–...24.....मई, 2014

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग कोषांग/आई०टी०मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/5

सरकार के संयुक्त सचिव।

22/5/14

F:\ALLOTMENT (2010-11) (2011-12) (2012-13)(2013-14).doc -106-5/22/2014